कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश
विज्ञापन

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं की कोचिंग हेतु आवेदन वर्ष 2018–19

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की विभिन्न स्तर की परीक्षा हेतु प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 योग्य प्रतिभागियों को वर्ष 2018–19 हेतु संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2019 की तैयारी के लिए दिल्ली में स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये कोचिंग दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

01. **कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों की अर्हताः–**

1.1 आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।

1.2 माता–पिता/अभिभावक/स्वयं की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रूपये 6.00 लाख (रूपये छः लाख) से अधिक न हो। (शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री उनके कार्यालय से जारी फार्म–16 की प्रमाणित प्रति एवं अन्य अभ्यर्थी स्वआय घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे)

1.3 अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में (विगत तीन वर्षो में) उत्तीर्ण हुए हों, को योजना का लाभ लेने के लिये प्रथमतः सीधे चयनित किया जावेगा तथा शेष सीटों के लिये जो आवेदक स्नातक उत्तीर्ण है उनके लिये संकायवार सूची तैयार कर Arts/Commarce/Science/Engineering Group/Medical Group हेतु स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर, मेरिट के आधार लक्ष्य अनुसार समान अनुपात में चयन किया जावेगा। किसी संकाय में आवेदन कम प्राप्त होने पर उनकी रिक्त सीट अन्य संकाय में समान रूप से अंतरित की जावेगी।

(नोटः– उक्त बिन्दु क्रमांक 1.1 से 1.3 अंतर्गत समस्त दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

1.4 अभ्यर्थी की आयु यू.पी.एस.सी. द्वारा वर्ष 2019 की Civil Sewa (Pre) की परीक्षा हेतु पात्रता अनुसार निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होना अनिवार्य है।

1.5 उक्त योजना में अभ्यर्थियों को योजना का लाभ एक बार ही प्रदाय किया जावेगा। पूर्व वर्षो में योजना का लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी पुनः आवेदन प्रस्तुत न करें।

1.6 समान योग्यता/अंको वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनमें से क्रमशः विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थी, शारीरिक अक्षमता, आय सीमा, आयु के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

2. **नई दिल्ली स्थित एम्पेनल्ड कोचिंग संस्थायें :–**

क0	कोचिंग संस्थान का नाम	कोचिंग का माध्यम	फोन नंबर
1	बाजीराव एण्ड रवि	अंग्रेजी	011–25820000,
2	अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम	अंग्रेजी/हिन्दी	011–27651110, 09311331331
3	दृष्टि द विज़न	हिन्दी	011–27604128, 08130392360
4	श्रीराम आईएएस	अंग्रजी	011–25825591, 42437002

3. **आवेदन प्रक्रियाः**

3.1 इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम कार्यालय की बेबसाईट **https://www.tribal.mp.gov.in/mptaas/userprofile/index** पर अपना प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन करेंगें। पंजीयन नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

3.2 निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त बेवसाईट के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे, अथवा कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल भोपाल से प्राप्त कर सकेंगे।

3.3 अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर, पूर्ण भरा हुआ आवेदन–पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेंजों सहित (फार्म एवं अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाकर) **कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन, भोपाल** में स्वयं उपस्थित होकर, अथवा कार्यालय की ई–मेल आई.डी. trg.ctd@mp.gov.in पर (विषय में IAS Coaching Application लिखकर) स्केन कॉपी पी.डी.एफ. फाईल में अथवा डॉक के माध्यम से दिनांक **25 अगस्त 2018 सायं 5:00 बजे** तक प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य किया जावेगा।

4. किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कार्यालयीन दूरभाष नंबर 0755–2552950 पर संपर्क किया जा सकता है।

(दीपाली रस्तोगी)
आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग,म.प्र.
मध्यप्रदेश

:आवेदन पत्र प्रारूपः

(IAS Coaching Application)

1	आवेदक का नाम	....
2	पिता का नाम	....
3	माता का नाम	....
4	mptaas पर पंजीयन का प्रोफाईल आई.डी.	....
5	संस्था का नाम जहाँ कोचिंग करना चाहते है	....
6	विगत वर्षों में इस योजनांतर्गत लाभांवित हुये हैं (हां अथवा नहीं)	....

पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

7 शैक्षणिक योग्यता :–

क.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संकाय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	सी.जी. पी.ए.	बोर्ड / संस्था / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	रोल नंबर
1	2	3	4	5		6	7	8
1	विगत तीन वर्षों में राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण							
2	स्नातक							
3	अन्य योग्यता							

नोटः– आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में दिये गये समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति (स्वप्रमाणित) संलग्न करें।

शपथ–पत्र

मैं यह वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में से कुछ भी असत्य है, तो मुझे संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक / मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग योजना वर्ष 2018–19 के तहत दी जाने वाली कोचिंग शुल्क एवं अन्य देय सुविधाओं से, बिना कोई पूर्व सूचना के वंचित किया जा सकता है।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर :–––––––––––––––

आवेदक का नाम :–––––––––––––––